सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

अधिनियम की धारा	धारा का प्रावधान का संक्षिप्त विवरण
धारा–1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
धारा–2	परिभाषाएं (क) समुचित सरकार (ड़) सक्षम प्राधिकारी (च) सूचना (अधिनियम के अन्तर्गत सूचना जो देय है उसका क्या तात्पर्य (ज) लोक प्राधिकारी (झ) अभिलेख (ञ) सूचना का अधिकार (ट) राज्य सूचना आयोग (ठ) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी (ढ़) पर व्यक्ति
धारा –3	इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
धारा–4	(1) लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं– (क) अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध,कम्प्यूटरीकृत किया जाना (ख) स्व–घोषणाएं (17 बिन्दु) (ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना के समय तथ्यों को प्रकाशित करना (घ) प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराना। (2) नियमित अन्तराल पर वेबसाईट पर सूचना को अपडेट करना (3) उप–धारा 1 के प्रयोग के लिए सूचना को विस्तुत रूप से ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित करना, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।
धारा–5	(1) लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना। (2) उप–धारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप मंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना (3) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
धारा–6	(1) सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। अनुरोध के लिए कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है। (2) सूचना कें अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। (3) आवेदन का अन्य लोक सूचना अधिकारी को अन्तरण *(निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 12.06.2008 व 24.09.2010 (प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) में इस विषय में विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है)*